केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60160 दिनांक: 05.11.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50724

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली – 110001.
मो0 – 9599467474.

निर्णय की तारीख : 05.11.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.09.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.10.2018, 25.10.2018, 29.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एस. के. रब्बानी, श्रीमती सविता तलूजा
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.10.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत/स्वीकृत UDC/DEO एवं केयर टेकर से संबंधित सात बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.09.2018 के उक्त ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2018 को ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल में श्री सुशील कुमार द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना अपलोड कर दी गई, जिसका अपीलकर्ता के इस आर.टी.आई. आवेदन से कोई संबंध नहीं है, इसका उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में किया गया है । श्रीमती सविता तलूजा द्वारा पुनः इस आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 से 4 एवं 6 की सूचना दिनांक 29.10.2018 को प्रदान की गई । **श्रीमती सविता तलूजा द्वारा दिनांक 29.10.2018 को पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/50724 के माध्यम से प्रदान की गई तथा दिनांक 30.10.2018 को श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु विलम्ब से सूचना उपलब्ध करवाने के लिए श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आगाह किया जाता है कि भविष्य में आर.टी.आई. आवेदनों से संबंधित सूचना सही ढंग से एवं निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित की जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
06 NOV 2018
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. **श्रीमती सविता तलूजा, अनुभाग अधिकारी (प्र0) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।**

06/11/18
6/11/18